



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jda@jodhpur.org वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-261206/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.पि./2022/ 5233

दिनांक:- 20/12/2022

कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन 05 बैठक दिनांक 23.12.2022 को उपायुक्त (जोन 05) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम गेवा के खसरा संख्या 416/9, 421, रकबा 2746.36 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
2. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
3. ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
4. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबंधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।


एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम बांगा के खसरा संख्या 458/1, 458/2, रकबा 4737.85 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।


निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-


1. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
2. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
3. ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
4. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबंधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।


एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम बांगा के खसरा संख्या 586, 589, 590, रकबा 3872.00 वर्गगज (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में पहुँच मार्ग के संबंध में जोन स्तर से जाँच कर पुँन आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।


तहसीलदार (जोन 05)
जोधपुर विकास प्राधिकरण


सहायक नगर नियाजक(जोन 05)
जोधपुर विकास प्राधिकरण



अधिराषी अभियन्ता (जोन 05)
जोधपुर विकास प्राधिकरण


उपायुक्त (जोन 05)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 5234-39.
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 28/12/2022

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन05, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन05, जो.वि.प्रा., जोधपुर


सहायक नगर नियोजक (जोन05)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर